

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 15(3)2022 / गो.प्र. / प्रमुखसं

दिनांक :

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एफ 3(8)डीओपी/ए-II/2013 पार्ट-II दिनांक 17.03.2023 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 31.03.2023 की अनुशंषा के आधार पर वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध निजी सचिव से वरिष्ठ निजी सचिव पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल एल-16 (6600) में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क. सं.	नाम सर्व श्री	पिता का नाम सर्व	एस.सी. / एस.टी.	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	अशोक कुमार जैन	मुंशीलाल जैन	-	17.03.2023
2	चन्द्र प्रकाश शर्मा	अर्जुन लाल	-	17.03.2023

उपरोक्त लोकसेवकों को पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा एवं उपरोक्त का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा तथा उपरोक्त लोकसेवक कार्य-ग्रहण की रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायेंगे।

(डॉ० दीप नारायण पाण्डेय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(3)2022 / गो.प्र. / प्रमुखसं 1523-31

दिनांक : 31-03-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
- 2 मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय हाजा।
- 4 संबंधित लोकसेवक को पालनार्थ।
- 5 उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन करने हेतु।
- 6 रक्षित पत्रावली / कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

(बृज मोहन मुप्ता)

उप वन संरक्षक (प्रस्था. अराजपत्रित),
राजस्थान, जयपुर